(13)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3( )पो/आयो/D.I./ICDS/2009/ 7395-7704 जयपुर दिनांक 4.2.10

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (बांसवाड़ा जिले को छोड़कर)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त (बांसवाड़ा जिले को छोड़कर)

विषय :— नवीन स्वीकृत बाल विकास परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु पोषाहार की मांग बाबत्।

प्रसंग :— निदेशालय का पत्र कमांक—प.11(3)25/मो/मबावि/05/72461 दिनांक—22.10.09, 77515 दिनांक—12.11.2009, 84076 दिनांक—14.12.2009 एवं 86856 दिनांक—21.12.2009

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के द्वारा राज्य में 26 नवीन बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। साथ ही कुल 304 बाल विकास परियोजनाओं में 6543 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 3523 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी जारी की गई है। 26 नवीन बाल विकास परियोजनाओं सहित कुछ परियोजनाओं के क्षेत्राधिकार में आंशिक परिवर्तन कर आंगनबाडी केन्द्रों का परियोजनावार पुर्ननिर्धारण किया गया है।

स्वीकृत 26 नवीन बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं क्षेत्राधिकार बदलने से जो आंगनबाड़ी केन्द्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र इन परियोजनाओं में शामिल किये गये हैं उन पर पूरक पोषाहार विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त किया जावे। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय—समय पर जारी विभागीय आदेश कमांक—10513—45 दि. 19.02.08, 27548—88, दि. 03.05.08, 53777—808, दि. 08.09.08, 10079—10110, दि. 13.02.09, 65394—704 दि. 29.09.09 एवं 288—319 दि. 01.01.10 में दिये गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक व्यवस्था की जावे।

जिन परियोजनाओं में विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था लागू है वहां खोले गये नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा इन परियोजनाओं में क्षेत्राधिकार परिवर्तन से स्थानान्तरित होकर आये आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त किया जावे।

जिन परियोजनाओं में केन्द्रीयकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था लागू है वहां खोले गये नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा इन परियोजनाओं में क्षेत्राधिकार परिवर्तन से स्थानान्तरित होकर आये आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की मांग निदेशालय को प्रेषित की जावे ताकि पूरक पोषाहार का आवंटन किया जा सके।

आयुवर्ग 3—6 वर्ष के सभी लाभान्वितों को निदेशालय द्वारा समय—समय पर जारी किये गये दिशा— निर्देशों के अनुसार गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचड़ी एवं सुबह के नाश्ते का वितरण किया जावे।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाए
राज. जयपुर।